राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक– एफ 3(87) नि.कृ./लेखा/ 4519-45 दिनांक 29/11/11

आदेश

शिक्षा सत्र 2011–12 से निजी क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्नांकित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख विषयों हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्न लिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है।

क्र. सं.	संचालन संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	प्रस्तावित विषय
1.	सरस्वती शिक्षण सदन प्रबन्ध समिति 11 एल. एन.पी. उद्योग विहार, श्रीगंगानगर	सरस्वती शिक्षण सदन कृषि महाविद्यालय 11 एल.एन.पी. उद्योग विहार, श्रीगंगानगर	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	एग्रोनोमी, होर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्री इकोनोमिक, सोइल साइन्स, प्लान्ट पैथोलोजी, एन्टोमोलोजी, एग्री इंजिनियरिंग, बोटनी, मैथ्स, कम्प्यूटर, अंग्रेजी, फिजिकल एज्यूकेशन
2.	सुरेन्द्र कौर मैमोरियल एज्यूकेशनल एवं सोशल वेलफेयर संस्था 24BB पदमपुर, श्रीगंगानगर	सुरेन्द्र कौर मैमोरियल कृषि महाविद्यालय 24BB पदमपुर, श्रीगंगानगर	——do——	——do——
3.	श्री कृष्ण विद्यालय प्रबन्ध समिति पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर	स्वामी श्री प्राणनाथ परनामी कृषि महाविद्यालय, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर	——do——	——do——

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डानुसार भवन निर्माण तथा अन्य आधार भूत संरचना के कार्य पूर्ण करवाकर निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को निरीक्षण हेतु सूचित करना होगा।
2. संस्था/महाविद्यालय को समय समय पर यू.जी.सी. तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/दिशा–निर्देशनों की पालना शब्दशः करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में कक्षाऐं प्रारम्भ करने की अनुमति नही दी जायेगी। पूर्वाद्ध (प्रथम वर्ष) के कक्षाओं के लिए निर्धारित मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ द्वितीय वर्ष हेतु भी पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क के लिये राज्य सरकार का निर्णय मानने के लिए संस्था/महाविद्यालय बाध्य होगें।

5. संस्था/महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश पूर्व अधिकृत पाठ्यक्रम एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. महाविद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं की सुनिश्चितता का दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय का होगा।
7. संस्था/महाविद्यालय को वर्तमान में या भविष्य में किसी प्रकार का अनुदान नही दिया जायेगा।
8. आवश्यकतानुसार राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकृत विभाग द्वारा संस्था का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी से कराया जा सकेगा। महाविद्यालय परिसर, मूलभूत सुविधाऐं, कक्षो का निरीक्षण कराना तथा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए संस्था/महाविद्यालय बाध्य होगा।
9. अस्थाई अनापत्ति में अभिवृद्धि हेतु संस्था/महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 मई के मध्य आवेदन करना अनिवार्य होगा।
10. निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाऐं (यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों सहित) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटर शिक्षक U.G.C योग्यताधारी न मिलने पर A.I.C.T.E द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षण नियुक्त करना होगा।
11. विषयवार सीटों का आवंटन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कृषि विभाग को सूचित किया जायेगा। महाविद्यालय तद्नुसार काउन्सिलिंग के माध्यम से प्राप्त छात्र संख्या सीमा से अधिक छात्रों को प्रवेश नही देगें।
12. संस्था द्वारा स्थाई जमा 5 वर्ष के लिए रखना अनिवार्य है तथा प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् इसका नवीनीकरण किया जायेगा। जमा राशि को कम/अधिक करने का अधिकार राज्य सरकार के पास सुरक्षित होगा।
13. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय तथा संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेन्ट राशि जमा करानी होगी।
14. तीन वर्ष पश्चात ही स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन स्वीकार किया जायेगा।
15. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार आयुक्त कृषि विभाग के द्वारा अधिकृत निरीक्षण दल से निरीक्षण कराना होगा और इस निरीक्षण की प्रति निम्नहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
16. उपरोक्त शर्तो के साथ–साथ नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने हेतु जारी दिशा–निर्देश पुस्तिका वर्ष 2011–12 की पालना नही करने पर संस्था/महाविद्यालय को दी गई अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र बिना नोटिस दिये राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त रद्द की जा सकेगी।

(जे. सी. महान्ति)
आयुक्त कृषि

क्रमांक– एफ 3(87) नि.कृ./लेखा/ 5519-55 दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव मा0 कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. कृषि राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (कृषि), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर ......श्रीगंगानगर...................... ।
6. उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. संबंधित महाविद्यालय सरस्वती शिक्षण संदन कृषि महाविद्यालय, 11 एल एन पी उद्योग विहार, श्रीगंगानगर
9. आरक्षी पंजिका।

संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) एटीसी

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाष नं. 0141-2227877 ई-मेल jdagr.atc.agri@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ. 8(5)आ.कृ./एटीसी/कृ.महा./TNOC Gr./23-24/1626-40 **दिनांक:** 29/8/2023

आदेश

राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा(ग्रुप-3) विभाग के अ.शा. टीप क्रमांक प.6 (21)/ग्रुप-3/2021 जयपुर, दिनांक 20.09.2022 द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने हेतु नीति/प्रक्रिया में दी गई शर्तों की पालना संबंधी समिति अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं राज्य सरकार के निर्णय अनुसार कृषि आयुक्तालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जारी किये गये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के क्रम में निम्न संस्थाओं को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अभिवृद्धि एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों के तहत् जारी की जाती है:-

क्र. सं.	संस्था	कृषि महाविद्यालय
1.	सरस्वती शिक्षण सदन प्रबन्ध समिति 11 एलएनपी उधोग विहार श्री गंगानगर ।	सरस्वती शिक्षण सदन कृषि महाविद्यालय, 11 एलएनपी उधोग विहार श्री गंगानगर।
2.	सुरेन्द्र कौर मैमोरियल एज्यूकेशन एवं सोशल वेलफेयर संस्था 24 बी.बी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।	सुरेन्द्र कौर मैमोरियल कृषि महाविद्यालय 24 बीबी पदमपुर जिला श्री गंगानगर।
3.	एपेक्स शिक्षा समिति, चाईया, तह0 रावतसर, जिला हनुमानगढ़।	एपेक्स कृषि महाविद्यालय, चाईया, तह0 रावतसर, जिला हनुमानगढ़
4.	बी.आर. एकेडमी शिक्षण संस्थान साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू ।	बी.आर.कृषि महाविद्यालय साहवा तह0 तारानगर जिला चूरू ।
5.	सरदार भगतसिह शिक्षण संस्थान गोलूवाला निबादान तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ ।	सरदार भगतसिह कृषि महाविद्यालय, 28 जेआरके खाराचक मण्डी गोलूवाला, तह0 पीलीबगा, जिला हनुमानगढ।
6.	श्री गोगाजी शिक्षा समिति गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।	चौधरी नंदराम मैमोरियल कृषि महाविद्यालय गोगामेडी तह0 नोहर, जिला हनुमानगढ ।
7.	श्री कृष्ण विद्यालय प्रबन्ध समिति पदमपुर जिला श्री गंगानगर ।	स्वामी श्री प्राणनाथ परनामी कृषि महाविद्यालय पदमपुर, जिला श्री गंगानगर।
8.	एस.डी. मैमोरियल पब्लिक शिक्षण समिति 1 टी.के.डब्लू. उमेवाला रोड, गोलूवाला, तह0 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।	एस.पी.एन. कृषि महाविद्यालय, 1 टी.के.डब्लू. उमेवाला रोड, गोलूवाला, तह0 पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

शर्तें:-

1. कृषि महाविद्यालय में छात्रों/छात्राओं को प्रवेश केवल जेट परीक्षा के माध्यम से ही दिया जायेगा।
2. संस्था द्वारा नीति/प्रक्रिया 2022 की पालना कर कृषि आयुक्तालय द्वारा गठित कमेटी से भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण करवाना होगा।

Signature valid

Digitally signed by G[illegible]av Agrawal
Designation: Com[illegible]sioner
Date: 2023.0[illegible] [illegible]:24:57 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No.: 4591898